न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव, (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : – 108/2016

उनवान

केला सिंह पुत्र गणेश जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद
––वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बनाम्

1. लक्ष्मण सिंह,
2. राम सिंह,
3. विजय सिंह,
4. कमला,
5. भंवरी उर्फ पप्पू,
6. विमला पि0 पन्ना सिंह,
7. सीता पत्नी सत्यनारायण सिंह,
8. विरेन्द्र सिंह ना.बा.,
9. मोनिका ना.बा. पि. सत्यनारायण सिंह जरियें संरक्षक माता सीता समस्त जाति रावत नि. कानाखेडी, नसीराबाद,
10. तहसीलदार नसीराबाद

––– प्रतिवादीगण :– 1 से 9 अनुपस्थित,
10 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 16·8·24

वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कानाखेडी के वंर्किग खसरा नम्बर 918 रकबा 3–4–10 व 886 रकबा 2–5–0 में से 1/2 हिस्सा वादी ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2001 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया। क्रय दिनांक से ही वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। वंर्किग खसरा नमबर 918 को वादी के नाम अंकित कर दिया गया किन्तु वंर्किग खसरा नम्बर 886 के हाल खसरा नम्बर 1070/1 को वादी के नाम दर्ज नही किया [illegible] तथा नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 23.08.11 द्वारा जरियें विरासत प्रतिवादी [illegible] के नाम दर्ज कर दिया गया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित [illegible]। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर

उपखण्ड अधिकारी

निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी के स्थान पर वादी के नाम दर्ज की जाती है तो राजहित प्रभावित नही होता है।
प्रकरण का खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख, पेश किये तथा वादी केला सिंह का शपथ पत्र पेश किया। पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रकरण में उपस्थित होकर अनापत्ति जाहिर की तथा अपने बयान दर्ज करवाये।
बहस उभयपक्ष सनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम कानाखेडी के वंर्किग खसरा नम्बर 918 रकबा 3–4–10 व 886 रकबा 2–5–0 की आराजी वादी ने तत्कालीन खातेदार पन्ना सिंह उर्फ पन्ना पुत्र लाल सिंह उर्फ लाला से जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2001 को क्रय की। उक्त विक्रय पत्र की पालना में आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा नामान्तकरण संख्या 111/24.12.2001 से केता वादी के नाम दर्ज की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 886 के खातें में उक्त नामान्तकरण का नोट अंकित नही किया गया जिस कारण 886 रकबा 2–5–0 के हाल खसरा नम्बर 0.36 को पुनः विकेता के नाम दर्ज कर दिया गया तथा उसकी मृत्यु के बाद जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 23.08.11 सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम दर्ज कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने बयान में वाद के तथ्यों को स्वीकार कर खसरा नम्बर 1070 का 1/2 हिस्सा वादी के नाम दर्ज करने हेतु सहमती दी है। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। तत्कालीन खातेदार ने पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया है तथा कब्जा केता को सुपुर्द किया है। विकेतागण की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस हाल राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। आराजी मुतनाजा विक्रय के बाद विकेता व उसके वारिसान के खातेदारी अधिकारों का अवसान हों चुका है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर अंकन त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम कानाखेडी स्थित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.36 की आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

केला सिंह बनाम लक्ष्मण वगै.

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिलिनयम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 108/2016
पेश करने की दिनांक – 17.06.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक कैलाश बीजावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी द्धारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम कानाखेडी स्थित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.36 की आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद